

योजना का नाम	सौर ऊर्जा सहायता
लाभ	सौर ऊर्जा प्लेटें/ पैनल मिलेगा तथा रख-रखाव एवं सर्विस चार्ज के लिए संबंधित आपूर्तिकर्ता से सम्पर्क करना होगा।

पात्रता / लाभार्थी

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य
सन्निर्माण कर्मकार कल्याण
बोर्ड में पंजीकृत निर्माण
श्रमिक के परिवार को।

आवेदन प्रक्रिया एवं चयन प्रक्रिया

आनलाइन आवेदन श्रमिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है, आवेदन पत्र के साथ श्रमिक कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति, आधार कार्ड, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, इस संबंध में किसी अन्य विभाग से लाभ न लिए जाने का प्रमाण पत्र संलग्न करना होता है। विभागीय जांच में सही पाये जाने के उपरांत सौर ऊर्जा प्लेटें/पैनल, विभाग द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता/डीलर से उपलब्ध करवाये जाते हैं। यह सम्पूर्ण जीवनकाल में केवल एक बार लाभार्थी को मिलता है।